न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील : 167/2019 तकास्मा

1. केसर देवी पत्नि रामजीलाल शर्मा
2. गौरीशंकर पुत्र रामजीलाल शर्मा
3. दिलीप पुत्र रामजीलाल शर्मा
   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी सींडोली तहसील दौसा जिला दौसा
4. गीता देवी पुत्री रामजीलाल पत्नि विश्वंभरदयाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी कूंथाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर
5. गीता देवी पुत्री रामजीलाल पत्नि सत्यनारायण जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी कोलीवाडा तहसील जमवा रामगढ जिला जयपुर
6. सुमन पुत्री रामजीलाल पत्नि लल्लू प्रसाद जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी सुजानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर

....अपीलांट्स

बनाम

1. रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. सोना देवी पत्नि हीरालाल (फोत)
3. लक्ष्मीदेवी पत्नि हीरालाल
4. रामबाबू पुत्र हीरालाल
5. जितेन्द्र पुत्र हीरालाल
6. मांगीलाल पुत्र गिरिजाशंकर
7. श्रीनारायण पुत्र सूजीलाल
8. बाबूलाल पुत्र परस्या
9. सुनीता पत्नि दिनेश चन्द
10. रामचन्द्र पुत्र कल्याणसहाय
    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

–रेस्पोंडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश तहसीलदार,दौसा दिनांक 10.01.2019 बाबत सहमति से तकास्मा करने बाबत।

उपस्थित:– 1. श्री मनीष कुमार शर्मा (तिवाडी) अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री वरूण नागर, अप्रार्थी सं0 01 व 05 की ओर से
3. श्री सुनील कुमार शर्मा अप्रार्थी सं0 6 लगायत 10 की ओर से
4. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.06.26 09:50:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 26.5.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा द्वारा दिनांक 10.1.2019 को अपीलांट्स व रेस्पो0 की खातेदारी भूमि का तकास्मा आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस स्थगन प्रा0पत्र आपत्ति उठाई कि यह अपील अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर पेश क

निरंतर ...2 पर

की गई है एवं उक्त इकरारनामें के आधार पर प्रस्तुत की गई अपील को इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त आपत्ति पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील में अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में दलील है कि ग्राम दौसा कस्बा में आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1071 लगायत 1077,1079, 1088 लगायत 1090 किता 11 रकबा 2.60है0 स्थित है। उक्त भूमि साबिक में रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 के पूर्वज हीरालाल, रामकरण पि0 लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द की खातेदारी की भूमि थी। व हीरालाल एवं रामकरण खातेदार थे जिनके हिस्से की भूमि में से 2 बीघा भूमि को दो लाख रूपये में अपीलांट्स के पूर्वज रामजीलाल ने खरीद ली थी तथा विक्रय का इकरारनामा पांच रूपये के स्टाम्प पर हीरालाल व रामकरण द्वारा टाईप कराकर अपीलांट के पूर्वज रामजीलाल के सुपुर्द कर दिया गया था तथा नोटेरी पब्लिक से पंजीयन करा दिया गया था। तथा इकरारनामें की पालना में विक्रय पत्र पंजीयन कराने का भी इकरार किया था। परन्तु रेस्पो0 संख्या 01 व 02 लगायत 05 के पूर्वज हीरालाल द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन नहीं कराया एवं टालमटोल करता रहा। उसके पश्चात रेस्पो0 संख्या 02 लगायत 05 के पूर्वज हीरालाल का स्वर्गवास हो गया इसी दरम्यान अपीलांट के पूर्वज रामजीलाल का भी स्वर्गवास हो गया। अपीलांट द्वारा सिविल जज दौसा के न्यायालय में एक वाद संविदा की पालना व स्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्ध केसर देवी बनाम रामकरण आदि दिनांक 29.4.2017 को वाद प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त वाद आज भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमे रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 व तहसीलदार दौसा भी पक्षकार है। प्रकरण में दिनांक 11.5.2017 से लगातार उपस्थित होते आ रहे है तथा उक्त संविदा के वाद की पूर्ण रूप से बखूबी जानकारी है। परन्तु रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 10 ने षडयंत्र व साज करके तहसीलदार दौसा जो कि सिविल न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार, तथ्यों को छिपाते हुए चुपचाप से विवादित भूमि का सहमति के आधार पर तकास्मा कराने हेतु चुपचाप से ही निवेदन कर तहसीलदार दौसा से मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमि का अवैध तरीके से दिनांक 10.1.2019 को तकास्मा करवा लिया जबकि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार दौसा भी पक्षकार है जिनको वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी थी। परन्तु रेस्पो0 व तहसीलदार ने मिलीभगत कर अवैध रूप से तकास्मा सहमति के आधार पर करने का आदेश पारित किया गया है जो कानून के विरूद्ध है। उक्त तकास्मा आदेश की जानकारी अपीलांट को पूर्व मे नही थी क्योंकि तहसीलदार दौसा ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का कोई मौका नहीं दिया। दिनांक 16.5.2019 को पटवारी हल्का द्वारा तकास्मा होने की जानकारी दी। तहसीलदार दौसा जो कि सिविल न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के संबंध में विचाराधीन वाद में पक्षकर थे जिनके द्वारा आपसी सहमति से तकास्मा आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निर्णय व आदेश दिनांक 10.1.2019 को निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 05 की बहस में दलील है कि अपीलांटस ने रेस्पों0 के विरूद्ध माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खं0)दौसा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 44/2017 पेश किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.9.2021 को खारिज फरमा दिया गया। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश दौसा में अपील प्रस्तुत की गई जिसे भी माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश दौसा द्वारा खारिज किया जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 20⁰7.9.2021 की पुष्टि की गई है। अपीलांटस द्वारा इकरारनामा सन 1992 का बताया गया है जिसे अत्यन्त विलंब से वर्ष 2017 में माननीय सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया साथ ही अपनी दलील के समर्थन

निरंतर ...3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.06.16 09:59:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 का उद्धरण पेश किया जिसमें अंकित है कि अपंजीकृत विक्रय हेतु करार को कोई मूल्य नहीं है। अपंजीकृत विक्रय हेतु करार के आधार पर स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में भी अंकन है कि इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकार स्वीकार नहीं किये जा सकते है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 में उल्लेख है कि विक्रय के इकरारनामा के आधार पर वाद सिविल न्यायालय में दायर किया जा सकता है। अतः अपीलांटस खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पो0.संख्या 06 लगायत 10 की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा खातेदारों के मध्य आपसी सहमति होने से तहसीलदार दौसा द्वारा तकास्मा आदेश पारित किया गया है। रेस्पो0 संख्या 06 लगायत 10 के पूर्वजों द्वारा उनकी कोई भूमि का विक्रय नहीं किया गया है। तहसीदार दौसा के समक्ष सामलाती खातेदारी भूमि खाता संख्या 33 कुल किता 11 रकबा 2.60है वाके ग्राम दौसा खुर्द का 500/– रू0 के स्टांप पर प्रस्तुत हुआ जिसमें समस्त सह खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से भूमि का विभाजन होना स्वीकार किया गया था, जिसको तहसीलदार दौसा द्वारा स्वीकृत किया गया था। सिविल न्यायालय दौसा से वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया था। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित तकास्मा आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसील दौसा द्वारा खातेदारान की संयुक्त भूमि का तकास्मा आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से पक्षकारों में विवाद प्रचलित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खातेदारान मांगीलाल पुत्र गिरिजाशंकर, श्रीनारायण पुत्र सूजीलाल, बाबूलाल पुत्र परस्या, सुनीता पत्नि दिनेश चंद, रामकरण पुत्र कल्याणसहाय, सेना देवी, लक्ष्मी देवी पत्नि हीरालाल, रामबाबू जितेन्द्र पुत्र हीरा लाल रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण समसत जाति ब्राहमण नाम से एक प्रा0पत्र तहसीलदार दौसा के समक्ष पेश किया गया जिसमें खातेदारान मांगीलाल पुत्र गिरिजाशंकर, श्रीनारायण पुत्र सूजीलाल, बाबूलाल पुत्र परस्या, सुनीता पत्नि दिनेश चंद, रामकरण पुत्र कल्याणसहाय, सेना देवी, लक्ष्मी देवी पत्नि हीरालाल, रामबाबू, जितेन्द्र पुत्र हीरा लाल रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। उक्त प्रा0 पत्र के आधार पर तहसीलदार दौसा द्वारा उनके पत्रांक 228 दिनांक 10.01.2019 से पटवारी हल्का को सहमति एवं स्वीकृति के आधार पर जोत के विभाजन का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु अंकित किया गया। तदनुरुप तकास्मा जारी किया गया। इस संबंध में तकास्मा सहमति बाबत 500/– का स्टाम्प पर टाइपशुदा है पर सभी खातेदारान की सहमति के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि खातेदारान में आपसी सहमति से भूमि का विभाजन हुआ है। पत्रावली में संलग्न नक्शा–ट्रेस में खातेदार के बीच हुए सहमति अनुसार भूमि का रंग भरा जाकर जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय दौसा में वाद अत्यन्त विलंब से पेश किया गया है। सिविल न्यायालय में वाद इतनी लम्बी अवधि से पेश करने का कोई पर्याप्त कारण भी अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित नहीं किया। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में अंकित है कि अपंजीकृत विक्रय हेतु करार को कोई मूल्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपंजीकृत विक्रय हेतु करार के आधार पर स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में भी अंकन है कि इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकार स्वीकार नहीं किये जा सकते है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Qurmmer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.06.16 09:59:56 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...4 पर

नियम 1955 की धारा 207 में उल्लेख है कि विक्रय के इकरारनामे का वाद सिविल न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है, जो माननीय सिविल न्यायालय दौसा में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार दौसा द्वारा पारित तकास्मा आदेश पारित किया गया है जा पूर्णततया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से हम प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 मई, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.06.16 09:59:56 IST
Reason: SelfAttested